

बिहार सरकार  
**निर्वाचन विभाग**  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

Press Release

दिनांक :- 15.10.2015

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ एवं पंचम चरण वाले जिलों की तैयारियों की समीक्षा दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 को पटना एवं 19 अक्टूबर, 2015 को मुजफ्फरपुर में निम्न कार्यक्रमानुसार की जायेगी :-

18 <sup>th</sup> October 2015	<b>At Patna</b>	
	4.30 pm to 5.30 pm	Meeting with representatives of recognized political parties (CEO Office to coordinate).
	5.30 pm to 6.30 pm	Meeting with CEO for review of overall election preparedness.
	6.30 pm to 7.30 pm	Meeting with CEO, Home Secretary along with State Nodal Police Officer and IG, CRPF to review security arrangements and deployment.
	7.30 pm to 8.00 pm	Review of election expenditure management with CEO, State Nodal Officer for Police, Excise and Income Tax.
19 <sup>th</sup> October 2015	<b>At Muzaffarpur</b>	
	10.30 am to 1.30 pm	Review of election preparedness for 4 <sup>th</sup> and 5 <sup>th</sup> phases with CEO, State Nodal Officers, DEOs, SSPs and Commissioners/IGs/DIGs etc.
	1.30 pm to 2.00 pm	Media Briefing.

2. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् है:-

(i)	<b>Number of Assembly Constituencies going to poll</b>	<b>32</b>
	<b>No. of Districts involved</b>	<b>6</b>
(ii)	<b>Electors</b>	
	<b>Total Electors</b>	<b>86,13,870</b>
	<b>a) General Elector</b>	<b>85,96,887</b>
	Male	45,76,744
	Female	40,19,887
	Third Gender	256
	<b>b) Service Elector</b>	<b>16,976</b>
	Male	11,501
	Female	5,473
	Third Gender	2
(iii)	<b>Total No. of ASD electors</b>	<b>2,91,752</b>
(iv)	<b>No. of Candidates</b>	<b>456</b>
	Male	424
	Female	32
(v)	<b>Polling Station</b>	<b>9,119</b>
	Main Polling Stations	8,849
	Auxiliary Polling Stations	270
(vi)	<b>No. of Polling Station Location</b>	<b>7,499</b>
(vii)	<b>No. of EVMs to be used</b>	
	CU	9,119
	BU	11,931
(viii)	<b>No. of VVPATs to be used</b>	<b>1,618</b>
(ix)	<b>No. of ECI Observers</b>	
	General Observers	32
	Expending Observers	10
	Police Observers	6

	Awareness Observers	6
(x)	No. of Employees given Postal Ballots	40,331
(xi)	No. of Employees casted vote through Postal Ballots	26,167
(xii)	No. of NBWs against accused persons executed after announcement of election	8,592
(xiii)	No. of Vulnerable Hamlets	4,239
(xiv)	No. of electors identified as vulnerable	5,30,711
(xv)	No. of identified trouble makers in vulnerability mapping	7,576
(xvi)	No. of Bonds taken under section 107 Cr. P.C.	30,987

### 3. Other Details

Name of Distt.	Kaimur (Bhabua)	Rohtas	Arwal	Jahanabad	Aurangabad	Gaya	Total
No. of model polling stations	16	105	13	15	12	52	213
No. of critical polling stations	91	621	125	293	777	455	2362
No. of LWE polling stations	131	494	329	378	666	1639	3637
No. of Micro Observer deployed	89	445	28	250	445	597	1854
No. of Polling Personnel deployed	5933	10773	2487	4014	8978	12031	44216
No. of CPF and State Police Personnel deployed (in Coys)	97	201	55	85	193	334	993
No. of Android Mobile deployed	56	105	40	30	60	62	353
No. of Video Camera deployed	38	160	0	100	99	106	503
No. of PS using Live Web Casting	53	125	24	40	68	155	465
Air Surveillance – Helicopter/UAV							5
No. of vehicle required in 2 <sup>nd</sup> phase							18,276
No. of Motor Boat to be used in 2 <sup>nd</sup> phase for Riverine patrolling							0
No. of Motor Bike to be used in 2 <sup>nd</sup> phase for patrolling							719
Mounted Police Force to be used for patrolling							40
Air Ambulance							1

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या 0612-2217788 तथा फ़ैक्स संख्या 0612-2215611 है।
5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 98% मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 16.10.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर Basic Minimum Facilities के तहत निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही है :-
- (i) रैम्प की व्यवस्था
  - (ii) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
  - (iii) बैठने हेतु फर्नीचर आदि की व्यवस्था
  - (iv) रौशनी की व्यवस्था
  - (v) हेल्प डेस्क की व्यवस्था
  - (vi) टॉयलेट की व्यवस्था (महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग)
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान की तिथि को मतदान केन्द्रों पर विकलांग/नेत्रहीन मतदाताओं की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

- (i) मतदान केन्द्रों पर रैम्प की व्यवस्था।
  - (ii) निःशक्त मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर ले जाने की सुविधा।
  - (iii) नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।
  - (iv) किसी 18 साल से अधिक उम्र के सहयोगी की मदद से मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा।
8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-
- 1 पासपोर्ट
  - 2 ड्राइविंग लाइसेंस
  - 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  - 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
  - 5 पैन कार्ड
  - 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
  - 7 मनरेगा जॉब कार्ड
  - 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  - 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  - 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
  - 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान - (क) निर्वाचन के संबंध में कोई

सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।

11. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 16.10.2015 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
12. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के द्वितीय चरण के 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 16.10.2015 (शुक्रवार) को निर्धारित है जिनमें से 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 12 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक तथा 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
कैमूर	203-रामगढ़	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	204-मोहनिया (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	205-भभुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	206-चैनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
रोहतास	207-चेनारी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	208-सासाराम	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	209-करगहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	210-दिनारा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	211-नोखा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	212-डिहरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

	213-काराकाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
अरवल	214-अरवल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	215-कुर्था	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
जहानाबाद	216-जहानाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	217-घोसी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	218-मखदुमपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
औरंगाबाद	219-गोह	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	220-ओबरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	221-नवीनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	222-कुटुम्बा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	223-औरंगाबाद	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	224-रफीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
गया	225-गुरुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	226-शेरघाटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	227-इमामगंज (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	228-बाराचट्टी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	229-बोध गया (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	230-गया टाउन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	231-टिकरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	232-बेलागंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	233-अतरी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	234-वजीरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

13. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	144
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	49
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	54
Violation of Loudspeaker Act	5
Illegal Meeting/Speech etc.	20
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	3
Others	53

14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law &

Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	134
No. of Explosives seized	122
No. of cartridges seized	486
No. of Bombs seized	48
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	1
No. of Licensed Arms deposited	6,515
No. of Licensed Arms Cancelled	908
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	25,390
No. of non-bailable warrants executed	9,473
Fine collected in vehicle checking	Rs. 63,67,099

15. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 1,693 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

वैशाली जिला में ₹2,90,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

16. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	99
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	8
Violation of Loudspeaker Act	1
Illegal Meeting/Speech etc.	4
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	3
Others	41

17. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	3
No. of cartridges seized	2



- |  |              |
|--|--------------|
| No. of Bombs seized  | 1            |
| No. of Licensed Arms deposited                               | 1,933        |
| No. of Licensed Arms Cancelled                               | 32           |
| No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 6,451        |
| No. of non-bailable warrants executed                        | 326          |
| Fine collected in vehicle checking                           | Rs. 6,04,030 |
18. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-
- |  |              |
|--|--------------|
| No. of prohibition cases registered          | 56           |
| No. of raids conducted                       | 134          |
| Volume of illicit liquor seized during raids | 2,299 litre  |
| No. of persons arrested                      | 57           |
| Amount of fine imposed                       | Rs. 1,28,600 |
19. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में श्री लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दिनांक 05.10.2015 को भारत निर्वाचन आयोग को समर्पित कारण पृच्छा पर आयोग ने श्री यादव को आदर्श आचार संहिता के कंडिका 1 के उप कंडिका (1) एवं उप कंडिका (4) उल्लंघन का दोषी पाते हुए उन्हें भविष्य के चुनाव अभियान में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने की चेतावनी दी है।
20. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 15.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	अंतिम तिथि तक दाखिल कुल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
मधुबनी	31-हरलाखी	3	18
	32-बेनीपट्टी	4	17
	33-खजौली	5	16
	34-बाबूबरही	5	12
	35-बिस्फी	4	16
	36-मधुबनी	3	12

	37-राजनगर (अ०जा०)	2	11
	38-झंझारपुर	8	19
	39-फूलपरास	5	12
	40-लौकहा	3	13
सुपौल	41-निर्मली	4	14
	42-पिपरा	3	9
	43-सुपौल	4	10
	44-त्रिवेणीगंज (अ०जा०)	5	9
	45-छातापुर	7	16
अररिया	46-नरपतगंज	4	12
	47-रानीगंज (अ०जा०)	7	15
	48-फारबिसगंज	5	12
	49-अररिया	10	21
	50-जोकिहाट	4	13
	51-सिकटी	7	11
किशनगंज	52-बहादुरगंज	6	19
	53-टाकुरगंज	9	17
	54-किशनगंज	8	20
	55-कोचाधामन	5	12
पूर्णिया	56-अमौर	3	14
	57-बायसी	4	12
	58-कसबा	7	18
	59-बनमनखी (अ०जा०)	10	18
	60-रूपौली	7	23
	61-धमदाहा	13	29
	62-पूर्णिया	9	37
कटिहार	63-कटिहार	7	22
	64-कदवा	11	24
	65-बलरामपुर	7	19
	66-प्राणपुर	13	27
	67-मनिहारी (अ०ज०जा०)	9	18
	68-बरारी	4	16
	69-कोढ़ा (अ०जा०)	4	13
मधुपुरा	70-आलमनगर	7	15
	71-बिहारीगंज	8	17
	72-सिंहेश्वर (अ०जा०)	6	13
	73-मधुपेरा	7	18

सहरसा	74-सोनबरसा (अ0जा0)	3	9
	75-सहरसा	5	16
	76-सिमरी बख्तियारपुर	7	15
	77-महिषी	7	17
दरभंगा	78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	4	11
	79-गौड़ाबौराम	6	12
	80-बेनीपुर	6	13
	81-अलीनगर	4	12
	82-दरभंगा ग्रामीण	3	13
	83-दरभंगा	7	16
	84-हायाघाट	9	16
	85-बहादुरपुर	3	15
	86-केवटी	4	13
	87-जाले	2	14
<b>कुल योग</b>		<b>336</b>	<b>901</b>

इस प्रकार पंचम चरण हेतु नाम-निर्देशन करने की आज दिनांक 15.10.2015 को अंतिम तिथि तक कुल 901 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है। इस चरण हेतु नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 16 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 5 नवम्बर, 2015 निर्धारित है।

- दिनांक 07.10.2015 को नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड अन्तर्गत श्रम कल्याण केन्द्र के मैदान में आयोजित सभा में श्री शरद यादव, अध्यक्ष, जनता दल (यूनायटेड) द्वारा दिये गये चुनावी भाषण के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रांक 437/BR-LA/2015 (MCC) दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त नोटिस में यह उद्धृत किया गया है कि श्री शरद यादव का उक्त भाषण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (2) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 171C (b) के तहत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है तथा आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 के 03:00 बजे अपराह्न तक का समय दिया है।